CRPF Act, 1949 – Offences and Punishments
(सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 – अपराध और दंड)

1. Which section of the Central Reserve Police Force Act, 1949 deals with more heinous offences? / केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की कौन सी धारा अधिक जघन्य अपराधों से सम्बन्धित है?
 (a) Section 12 **(b) Section 9**
 (c) Section 11 (d) Section 10
2. Under section 9, a member of the Force who joins in any mutiny commits which class of offence? / धारा 9 के तहत किसी विद्रोह (बगावत) में शामिल होने वाला बल का सदस्य किस श्रेणी का अपराध करता है?
 (a) An offence punishable only with a minor punishment / केवल लघु दंड से दंडनीय अपराध
 (b) A more heinous offence / अधिक जघन्य अपराध
 (c) A petty offence against discipline / अनुशासन के विरुद्ध छोटा अपराध
 (d) A less heinous offence / कम जघन्य अपराध
3. Under section 9, what is required of a member of the Force who is present at any mutiny? / धारा 9 के तहत किसी विद्रोह (बगावत) के समय उपस्थित बल के सदस्य से क्या अपेक्षित है?
 (a) To use his utmost endeavour to suppress it / उसे दबाने के लिए अपना पूरा प्रयास करना
 (b) To withdraw from the place at once / तुरंत उस स्थान से हट जाना
 (c) To place the ringleaders under close arrest / मुखियाओं को बंद गिरफ़्तारी में रखना
 (d) To report it within twenty-four hours / चौबीस घंटे के भीतर उसकी सूचना देना
4. Under section 9, a member knowing of any intention or conspiracy to mutiny must give information to whom? / धारा 9 के तहत विद्रोह (बगावत) के किसी आशय या षड्यंत्र की जानकारी रखने वाले सदस्य को किसे सूचना देनी चाहिए?
 (a) The officer in charge of the police station / थाने के भारसाधक अधिकारी को
 (b) The Central Government / केंद्र सरकार को
 (c) The nearest Magistrate / निकटतम मजिस्ट्रेट को
 (d) His superior officer / अपने वरिष्ठ अधिकारी को
5. Under section 9, what is the maximum term of imprisonment that may be awarded for a more heinous offence? / धारा 9 के तहत अधिक जघन्य अपराध के लिए कारावास की अधिकतम कितनी अवधि दी जा सकती है?
 (a) Fourteen years / चौदह वर्ष (b) Seven years / सात वर्ष
 (c) Ten years / दस वर्ष (d) One year / एक वर्ष
6. Under section 9, what is the maximum fine that may be awarded for a more heinous offence? / धारा 9 के तहत अधिक जघन्य अपराध के लिए अधिकतम कितना जुर्माना दिया जा सकता है?
 (a) Fine which may extend to one month's pay / ऐसा जुर्माना जो एक माह के वेतन तक हो सकेगा
 (b) Fine which may extend to three months' pay / ऐसा जुर्माना जो तीन माह के वेतन तक हो सकेगा
 (c) Fine which may extend to six months' pay / ऐसा जुर्माना जो छह माह के वेतन तक हो सकेगा
 (d) Fine which may extend to one year's pay / ऐसा जुर्माना जो एक वर्ष के वेतन तक हो सकेगा
7. Which section of the Act deals with less heinous offences? / अधिनियम की कौन सी धारा कम जघन्य अपराधों से सम्बन्धित है?
 (a) Section 13 (b) Section 11
 (c) Section 10 (d) Section 9
8. Under section 10, what is the maximum term of imprisonment for a less heinous offence? / धारा 10 के तहत कम जघन्य अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि कितनी है?
 (a) One year / एक वर्ष (b) Three years / तीन वर्ष
 (c) Fourteen years / चौदह वर्ष (d) Two years / दो वर्ष
9. Under section 10, what is the maximum fine for a less heinous offence? / धारा 10 के तहत कम जघन्य अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना कितना है?
 (a) Fine which may extend to one month's pay / ऐसा जुर्माना जो एक माह के वेतन तक हो सकेगा
 (b) Fine which may extend to six months' pay / ऐसा जुर्माना जो छह माह के वेतन तक हो सकेगा
 (c) Fine which may extend to three months' pay / ऐसा जुर्माना जो तीन माह के वेतन तक हो सकेगा
 (d) Fine which may extend to two months' pay / ऐसा जुर्माना जो दो माह के वेतन तक हो सकेगा

10. Which section of the Act provides for minor punishments? / अधिनियम की कौन सी धारा लघु दंडों का उपबंध करती है?
(a) Section 10 (b) Section 13
(c) Section 11 (d) Section 12

11. Under section 11, minor punishments may be awarded in lieu of, or in addition to, which two actions? / धारा 11 के तहत लघु दंड किन दो कार्रवाइयों के बदले में या उनके अतिरिक्त दिए जा सकते हैं?
(a) Suspension or dismissal / निलंबन या पदच्युति
(b) Transfer or reversion / स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन
(c) Censure or severe censure / परिनिंदा या कठोर परिनिंदा
(d) Arrest or confinement / गिरफ्तारी या परिरोध

12. Which is the first minor punishment listed in section 11? / धारा 11 में सूचीबद्ध पहला लघु दंड कौन सा है?
(a) Confinement to quarters, lines or camp / क्वार्टर, लाइन या कैम्प तक परिरोध
(b) Fine of any amount not exceeding one month's pay and allowances / एक माह के वेतन और भत्तों से अनधिक किसी रकम का जुर्माना
(c) Reduction in rank / रैंक में अवनति
(d) Removal from any office of distinction / किसी विशिष्ट पद से हटाया जाना

13. Under section 11, up to what amount may a fine be imposed as a minor punishment? / धारा 11 के तहत लघु दंड के रूप में कितनी रकम तक जुर्माना लगाया जा सकता है?
(a) Any amount not exceeding two months' pay and allowances / दो माह के वेतन और भत्तों से अनधिक कोई रकम
(b) Any amount not exceeding one month's pay and allowances / एक माह के वेतन और भत्तों से अनधिक कोई रकम
(c) Any amount not exceeding three months' pay / तीन माह के वेतन से अनधिक कोई रकम
(d) Any amount not exceeding fifteen days' pay / पंद्रह दिन के वेतन से अनधिक कोई रकम

14. Under section 11, for what maximum term may confinement to quarters, lines or camp be awarded? / धारा 11 के तहत क्वार्टर, लाइन या कैम्प तक परिरोध अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है?
(a) Thirty days / तीस दिन
(b) Seven days / सात दिन
(c) One month / एक माह
(d) Twenty-eight days / अट्ठाईस दिन

15. Under section 11, for how many days at most may confinement in the quarter-guard be awarded? / धारा 11 के तहत क्वार्टर-गार्ड में परिरोध अधिकतम कितने दिन के लिए दिया जा सकता है?
(a) One month / एक माह
(b) Thirty days / तीस दिन
(c) Twenty-eight days / अट्ठाईस दिन
(d) Fifteen days / पंद्रह दिन

16. Under sub-section (3) of section 11, for how many days at most may confinement in the quarter-guard be awarded? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत क्वार्टर-गार्ड में परिरोध अधिकतम कितने दिन के लिए दिया जा सकता है?
(a) Seven days / सात दिन
(b) Thirty days / तीस दिन
(c) Fifteen days / पंद्रह दिन
(d) Twenty-eight days / अट्ठाईस दिन

17. Under sub-section (3) of section 11, for how many days at most may punishment drill or extra guard, fatigue or other duty be awarded? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत दंड ड्रिल या अतिरिक्त गार्ड, फटीग या अन्य ड्यूटी अधिकतम कितने दिन के लिए दी जा सकती है?
(a) Twenty-eight days / अट्ठाईस दिन
(b) Fifteen days / पंद्रह दिन
(c) Thirty days / तीस दिन
(d) Seven days / सात दिन

18. Under sub-section (3) of section 11, censure or severe censure may be awarded to a subordinate officer only by whom? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत अधीनस्थ अधिकारी को परिनिंदा या कठोर परिनिंदा केवल कौन दे सकता है?
(a) Any company officer / कोई भी कंपनी अधिकारी
(b) The assistant commandant / सहायक कमांडेंट
(c) Any gazetted officer / कोई भी राजपत्रित अधिकारी
(d) The Commandant / कमांडेंट

19. Under sub-section (4) of section 11, for how many days at most may a jemadar or sub-inspector award punishment drill or extra duty? / धारा 11 की उपधारा (4) के तहत जमादार या सब-इंस्पेक्टर अधिकतम कितने दिन के लिए दंड ड्रिल या अतिरिक्त ड्यूटी दे सकता है?
(a) Twenty-eight days / अट्ठाईस दिन
(b) Seven days / सात दिन
(c) Fifteen days / पंद्रह दिन
(d) Thirty days / तीस दिन

20. Which section of the Act deals with the place of imprisonment and liability to dismissal on imprisonment? / अधिनियम की कौन सी धारा कारावास के स्थान और कारावास पर पदच्युति के दायित्व से सम्बन्धित है?
(a) Section 13 (b) Section 15
(c) Section 11 **(d) Section 12**

21. Which section of the Act provides for deductions from pay and allowances? / अधिनियम की कौन सी धारा वेतन और भत्तों से कटौती का उपबंध करती है?
(a) Section 13 (b) Section 14
(c) Section 11 (d) Section 12

22. Under section 13, who may make penal deductions from the pay and allowances of a member of the Force? / धारा 13 के तहत बल के सदस्य के वेतन और भत्तों से दांडिक कटौती कौन कर सकता है?
(a) Any gazetted officer of the Force / बल का कोई भी राजपत्रित अधिकारी
(b) His company officer / उसका कंपनी अधिकारी
(c) The Central Government / केंद्र सरकार
(d) The Commandant only / केवल कमांडेंट

23. Which section of the Act provides for collective fines? / अधिनियम की कौन सी धारा सामूहिक जुर्माने का उपबंध करती है?
(a) Section 14 (b) Section 11
(c) Section 15 (d) Section 13

24. Under section 14, who may impose a collective fine? / धारा 14 के तहत सामूहिक जुर्माना कौन लगा सकता है?
(a) The company officer / कंपनी अधिकारी
(b) The assistant commandant / सहायक कमांडेंट
(c) The Commandant / कमांडेंट
(d) The Central Government / केंद्र सरकार

25. Under section 14, upon whom may a collective fine be imposed? / धारा 14 के तहत सामूहिक जुर्माना किन पर लगाया जा सकता है?
(a) Upon the company officer alone / केवल कंपनी अधिकारी पर
(b) Upon every member of the Force at that station / उस स्टेशन पर बल के प्रत्येक सदस्य पर
(c) Upon the gazetted officers of the unit only / केवल यूनिट के राजपत्रित अधिकारियों पर
(d) Upon the subordinate officers and men of the unit, or upon so many of them as should be held responsible / यूनिट के अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों पर, या उनमें से उतनों पर जिन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए

26. Under section 9, within what time must information of a mutiny or conspiracy be given to the superior officer? / धारा 9 के तहत विद्रोह (बगावत) या षड्यंत्र की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को कितने समय में दी जानी चाहिए?
(a) Within seven days / सात दिन के भीतर
(b) Before the next parade / अगली परेड से पहले
(c) Within twenty-four hours / चौबीस घंटे के भीतर
(d) Without delay / बिना विलम्ब

27. Under section 9, using or attempting to use criminal force to a superior officer is an offence in which circumstance? / धारा 9 के तहत वरिष्ठ

अधिकारी पर आपराधिक बल का प्रयोग या प्रयास किस परिस्थिति में अपराध है?
(a) Only while on duty / केवल ड्यूटी पर होने पर
(b) Only while on active duty / केवल सक्रिय ड्यूटी पर होने पर
(c) Whether on or off duty / चाहे ड्यूटी पर हो या ड्यूटी से बाहर
(d) Only within the precincts of the lines / केवल लाइन की परिसीमा के भीतर

28. Under section 9, a member who shamefully abandons or delivers up a post or guard commits an offence in respect of a post which — / धारा 9 के तहत जो सदस्य किसी पोस्ट या गार्ड को लज्जाजनक रूप से छोड़ता या सौंप देता है, वह ऐसी पोस्ट के सम्बन्ध में अपराध करता है जो —
(a) Is committed to his charge, or which it is his duty to defend / उसके प्रभार में सौंपी गई हो, या जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो
(b) Is situated outside the headquarters of the Force / बल के मुख्यालय से बाहर स्थित हो
(c) Has been established by a special order / विशेष आदेश द्वारा स्थापित की गई हो
(d) Is held jointly with the State police / राज्य पुलिस के साथ संयुक्त रूप से रखी गई हो

29. Under section 9, holding correspondence with a person in arms against the State is an offence when done — / धारा 9 के तहत राज्य के विरुद्ध शस्त्रधारी व्यक्ति से पत्र-व्यवहार रखना किस रूप में किए जाने पर अपराध है?
(a) Only in writing / केवल लिखित रूप में
(b) Only while on active duty / केवल सक्रिय ड्यूटी पर होने पर
(c) Directly or indirectly / प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
(d) Only through another member of the Force / केवल बल के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से

30. Under section 9, a sentry who sleeps upon his post commits an offence in which circumstance? / धारा 9 के तहत अपनी पोस्ट पर सोने वाला संतरी किस परिस्थिति में अपराध करता है?
(a) While on active duty / सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए
(b) Only during the hours of darkness / केवल अंधेरे के समय में
(c) Only when the post is outside the headquarters / केवल जब पोस्ट मुख्यालय से बाहर हो
(d) At any time, on or off duty / किसी भी समय, ड्यूटी पर हो या न हो

31. Under section 9, a sentry who quits his post commits an offence when he does so — / धारा 9 के तहत अपनी पोस्ट छोड़ने वाला संतरी किस दशा में अपराध करता है?
(a) Without being regularly relieved or without leave / नियमित रूप से बदले बिना या छुट्टी के बिना
(b) Without handing over his weapon / अपना हथियार सौंपे बिना
(c) Without entering the fact in the register / रजिस्टर में यह बात दर्ज किए बिना
(d) Without informing the orderly room / आर्डरली रूम को सूचित किए बिना

32. Under section 9, leaving one's commanding officer, post or party to go in search of plunder is an offence committed — / धारा 9 के तहत लूट की तलाश में अपने कमान अधिकारी, पोस्ट या पार्टी को छोड़ना किस दशा में किया गया अपराध है?
(a) At any time whatsoever / किसी भी समय
(b) While not on active duty / सक्रिय ड्यूटी पर न होते हुए
(c) Only during a mutiny / केवल विद्रोह (बगावत) के दौरान
(d) While on active duty / सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए

33. Under section 9, using criminal force to a person bringing provisions or other necessaries to camp is an offence in which circumstance? / धारा 9 के तहत कैम्प में रसद या अन्य आवश्यक वस्तुएं लाने वाले व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किस परिस्थिति में अपराध है?
(a) Only within the headquarters / केवल मुख्यालय के भीतर
(b) While on active duty / सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए
(c) At any time, on or off duty / किसी भी समय, ड्यूटी पर हो या न हो
(d) Only when the person is a member of the Force / केवल जब वह व्यक्ति बल का सदस्य हो

34. Under section 9, in which places is intentionally causing or spreading a false alarm an offence? / धारा 9 के तहत जानबूझकर झूठा भय उत्पन्न करना या फैलाना किन स्थानों पर अपराध है?
(a) In barracks, lines or camp only / केवल बैरक, लाइन या कैम्प में
(b) At the headquarters of the Force only / केवल बल के मुख्यालय पर

(c) In action or in camp, garrison or quarters / कार्रवाई में या कैम्प, गैरिसन या क्वार्टर में
(d) On the line of march only / केवल कूच की पंक्ति पर

35. Under section 9, displaying cowardice is an offence when displayed — / धारा 9 के तहत कायरता दिखाना किस दशा में अपराध है?
(a) In the presence of the Commandant / कमांडेंट की उपस्थिति में
(b) During a departmental inquiry / विभागीय जाँच के दौरान
(c) On parade or on the line of march / परेड पर या कूच की पंक्ति पर
(d) In the execution of his duty / अपने कर्तव्य के निष्पादन में

36. Under section 9, besides transportation for life (now imprisonment for life), transportation may be for a term of not less than how many years? / धारा 9 के तहत आजीवन निर्वासन (अब आजीवन कारावास) के अलावा निर्वासन कम से कम कितने वर्ष की अवधि का हो सकता है?
(a) Ten years / दस वर्ष
(b) Fourteen years / चौदह वर्ष
(c) Seven years / सात वर्ष
(d) Five years / पांच वर्ष

37. Under section 9, may a fine be awarded in addition to a sentence of transportation or imprisonment? / धारा 9 के तहत क्या निर्वासन या कारावास के दंडादेश के अतिरिक्त जुर्माना भी दिया जा सकता है?
(a) No, a fine may be awarded only in lieu of such sentence / नहीं, जुर्माना केवल ऐसे दंडादेश के बदले में दिया जा सकता है
(b) Yes, but only up to one month's pay / हां, किन्तु केवल एक माह के वेतन तक
(c) Yes, fine to the extent of three months' pay in addition to such sentence / हां, ऐसे दंडादेश के अतिरिक्त तीन माह के वेतन तक का जुर्माना
(d) No, a fine is not provided for under section 9 / नहीं, धारा 9 के तहत जुर्माने का उपबंध नहीं है

38. Under section 10, being in a state of intoxication is an offence in which situations? / धारा 10 के तहत मत्तता की हालत में होना किन स्थितियों में अपराध है?
(a) Only when in command of a guard / केवल गार्ड की कमान में होने पर
(b) Only when on active duty / केवल सक्रिय ड्यूटी पर होने पर
(c) Only within the barracks or lines / केवल बैरक या लाइन के भीतर
(d) When on, or after having been warned for, any duty or on parade or on the line of march / किसी ड्यूटी पर होने पर, या उसके लिए चेतावनी दिए जाने के बाद, या परेड पर या कूच की पंक्ति पर

39. Under section 10, striking or attempting to force any sentry is an offence of which class? / धारा 10 के तहत किसी संतरी पर प्रहार करना या उसे बलपूर्वक हटाने का प्रयास किस श्रेणी का अपराध है?
(a) A less heinous offence / कम जघन्य अपराध
(b) An offence punishable only by a criminal Court / केवल दांडिक न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध
(c) A more heinous offence / अधिक जघन्य अपराध
(d) A petty offence against discipline / अनुशासन के विरुद्ध छोटा अपराध

40. Under section 10, a member in command of a guard, picquet or patrol commits an offence if he — / धारा 10 के तहत गार्ड, पिकेट या गश्त की कमान में सदस्य अपराध करता है यदि वह —
(a) Fails to submit the guard report in time / समय पर गार्ड रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता
(b) Refuses to receive any prisoner or person duly committed to his charge / अपने प्रभार में विधिवत सौंपे गए किसी बंदी या व्यक्ति को लेने से इन्कार करता है
(c) Leaves the guard room during his shift / अपनी पाली के दौरान गार्ड रूम छोड़ देता है
(d) Allows a visitor to enter the quarter-guard / क्वार्टर-गार्ड में किसी आगंतुक को प्रवेश देता है

41. Under section 10, releasing a person or prisoner placed under one's charge is an offence when done — / धारा 10 के तहत अपने प्रभार में रखे गए व्यक्ति या बंदी को छोड़ना किस दशा में अपराध है?
(a) Without informing the medical officer / चिकित्सा अधिकारी को सूचित किए बिना
(b) Without a written application / लिखित आवेदन के बिना
(c) Without entering it in the guard report / गार्ड रिपोर्ट में दर्ज किए बिना
(d) Without proper authority / उचित प्राधिकार के बिना

42. Under section 10, negligently suffering a prisoner or person to escape is an offence of which class? / धारा 10 के तहत उपेक्षापूर्वक किसी

बंदी या व्यक्ति को भाग जाने देना किस श्रेणी का अपराध है?
(a) A petty offence against discipline / अनुशासन के विरुद्ध छोटा अपराध
(b) A more heinous offence / अधिक जघन्य अपराध
(c) No offence at all under this Act / इस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं
(d) A less heinous offence / कम जघन्य अपराध

43. Under section 10, a member under arrest or in confinement commits an offence if he leaves it — / धारा 10 के तहत गिरफ्तारी या परिरोध में सदस्य अपराध करता है यदि वह उसे कब छोड़ता है?
(a) Before the completion of twenty-eight days / अट्ठाईस दिन पूरे होने से पहले
(b) Before he is set at liberty by lawful authority / इससे पहले कि उसे विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा मुक्त किया जाए
(c) Before the inquiry is completed / जाँच पूरी होने से पहले
(d) Before the Commandant returns to headquarters / कमांडेंट के मुख्यालय लौटने से पहले

44. Under section 10, being grossly insubordinate to a superior officer is an offence when it occurs — / धारा 10 के तहत वरिष्ठ अधिकारी के प्रति घोर अवज्ञाकारी होना किस दशा में अपराध है?
(a) During the hours of duty only / केवल ड्यूटी के घंटों में
(b) In the presence of other members of the Force / बल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में
(c) Within the precincts of the lines only / केवल लाइन की परिसीमा के भीतर
(d) In the execution of his office / उसके पद के निष्पादन में

45. Under section 10, striking or otherwise ill-using which person is an offence? / धारा 10 के तहत किस व्यक्ति पर प्रहार करना या अन्यथा दुर्व्यवहार करना अपराध है?
(a) Any person bringing provisions to camp / कैम्प में रसद लाने वाला कोई व्यक्ति
(b) Any sentry on duty / ड्यूटी पर कोई संतरी
(c) Any superior officer of the Force / बल का कोई वरिष्ठ अधिकारी
(d) Any member of the Force subordinate to him in rank or position / बल का ऐसा कोई सदस्य जो रैंक या पद में उससे अधीनस्थ हो

46. Under section 10, injuring, losing or fraudulently disposing of official articles is an offence when done — / धारा 10 के तहत सरकारी वस्तुओं को क्षति पहुंचाना, खोना या कपटपूर्वक व्ययनित करना किस रूप में किए जाने पर अपराध है?
(a) Designedly or through neglect / जानबूझकर या उपेक्षा से
(b) Only designedly / केवल जानबूझकर
(c) Only through neglect / केवल उपेक्षा से
(d) Only while on active duty / केवल सक्रिय ड्यूटी पर

47. Under section 10, voluntarily causing hurt to himself or any other person is an offence when done with which intent? / धारा 10 के तहत स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित करना किस आशय से किए जाने पर अपराध है?
(a) With intent to obtain a transfer / स्थानांतरण प्राप्त करने के आशय से
(b) With intent to render himself or any other person unfit for service / स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को सेवा के लिए अयोग्य बनाने के आशय से
(c) With intent to obtain leave of absence / छुट्टी प्राप्त करने के आशय से
(d) With intent to avoid a departmental inquiry / विभागीय जाँच से बचने के आशय से

48. Under section 10, knowingly furnishing a false return or report of the number or state of men under one's command is an offence of which class? / धारा 10 के तहत अपनी कमान के जवानों की संख्या या स्थिति की जानबूझकर झूठी विवरणी या रिपोर्ट देना किस श्रेणी का अपराध है?
(a) A petty offence against discipline / अनुशासन के विरुद्ध छोटा अपराध
(b) A more heinous offence / अधिक जघन्य अपराध
(c) A less heinous offence / कम जघन्य अपराध
(d) A minor punishment matter only / केवल लघु दंड का मामला

49. Under section 10, over-staying leave granted to him is an offence when it is done — / धारा 10 के तहत स्वीकृत छुट्टी से अधिक रुकना किस दशा में अपराध है?
(a) While on active duty / सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए

(b) Without the written permission of the Commandant /
कमांडेंट की लिखित अनुमति के बिना
(c) For more than seven days /
सात दिन से अधिक के लिए
(d) Without sufficient cause /
पर्याप्त कारण के बिना

50. Under section 10, contravening a provision of the Act for which no punishment is expressly provided amounts to — / धारा 10 के तहत अधिनियम के ऐसे उपबंध का उल्लंघन जिसके लिए कोई दंड अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, क्या होता है?
(a) A more heinous offence /
अधिक जघन्य अपराध
(b) No offence at all /
कोई अपराध नहीं
(c) Only a matter for departmental advice /
केवल विभागीय सलाह का विषय
(d) A less heinous offence /
कम जघन्य अपराध

51. Under section 10, may both imprisonment and fine be awarded for a less heinous offence? / धारा 10 के तहत क्या कम जघन्य अपराध के लिए कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं?
(a) Yes, with both /
हां, दोनों से
(b) No, only with imprisonment /
नहीं, केवल कारावास से
(c) Only if the Commandant so recommends /
केवल यदि कमांडेंट ऐसी सिफारिश करे
(d) No, only with fine /
नहीं, केवल जुर्माने से

52. Under section 11, for which kinds of conduct may minor punishments be awarded? / धारा 11 के तहत किस प्रकार के आचरण के लिए लघु दंड दिए जा सकते हैं?
(a) Offences committed while on active duty only /
केवल सक्रिय ड्यूटी पर किए गए अपराध
(b) Disobedience, neglect of duty, remissness in the discharge of any duty or other misconduct /
अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा, किसी कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता या अन्य कदाचार
(c) Offences punishable by a criminal Court only /
केवल दांडिक न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध
(d) More heinous offences only /
केवल अधिक जघन्य अपराध

53. Under section 11, confinement in the quarter-guard may be awarded with or without which additional duties? / धारा 11 के तहत क्वार्टर-गार्ड में परिरोध किन अतिरिक्त ड्यूटीयों के साथ या उनके बिना दिया जा सकता है?
(a) Forfeiture of pay and allowances /
वेतन और भत्तों की समपहृति
(b) Punishment drill or extra guard, fatigue or other duty /
दंड ड्रिल या अतिरिक्त गार्ड, फटीग या अन्य ड्यूटी
(c) Reduction in rank or censure /
रैंक में अवनति या परिनिंदा
(d) Extra parade or physical training /
अतिरिक्त परेड या शारीरिक प्रशिक्षण

54. Under sub-section (2) of section 11, which punishments may a gazetted officer in command of a detachment away from headquarters award? / धारा 11 की उपधारा (2) के तहत मुख्यालय से बाहर टुकड़ी की कमान में राजपत्रित अधिकारी कौन से दंड दे सकता है?
(a) Censure, and severe censure /
परिनिंदा, और कठोर परिनिंदा
(b) Removal from an office of distinction, and fine /
विशिष्ट पद से हटाया जाना, और जुर्माना
(c) Confinement to quarters, lines or camp, and confinement in the quarter-guard /
क्वार्टर, लाइन या कैम्प तक परिरोध, और क्वार्टर-गार्ड में परिरोध
(d) Reduction in rank, and fine /
रैंक में अवनति, और जुर्माना

55. Under sub-section (2) of section 11, a gazetted officer may award those punishments only if he is specially authorised by whom? / धारा 11 की उपधारा (2) के तहत राजपत्रित अधिकारी वे दंड तभी दे सकता है जब उसे किसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो?
(a) The Central Government /
केंद्र सरकार
(b) The Commandant /
कमांडेंट
(c) The prescribed authority /
विहित प्राधिकारी
(d) The assistant commandant /
सहायक कमांडेंट

56. Under sub-section (3) of section 11, which officers may award punishments without a formal trial? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत कौन से अधिकारी औपचारिक विचारण के बिना दंड दे सकते हैं?

(a) Any gazetted officer of the Force / बल का कोई भी राजपत्रित अधिकारी
(b) Any subordinate officer of the Force / बल का कोई भी अधीनस्थ अधिकारी
(c) Only the Commandant / केवल कमांडेंट
(d) The assistant commandant, a company officer or a subordinate officer not below the rank of subedar or inspector / सहायक कमांडेंट, कंपनी अधिकारी या सूबेदार या इंस्पेक्टर के रैंक से अनिम्न अधीनस्थ अधिकारी

57. Under sub-section (3) of section 11, below which ranks may a subordinate officer not be, to exercise that power? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत उस शक्ति के प्रयोग के लिए अधीनस्थ अधिकारी किन रैंकों से नीचे नहीं होना चाहिए?
(a) Subedar-major or inspector / सूबेदार-मेजर या इंस्पेक्टर
(b) Subedar or inspector / सूबेदार या इंस्पेक्टर
(c) Jemadar or sub-inspector / जमादार या सब-इंस्पेक्टर
(d) Assistant commandant or company officer / सहायक कमांडेंट या कंपनी अधिकारी

58. Under sub-section (3) of section 11, for what kind of offence may punishment be awarded without a formal trial? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत औपचारिक विचारण के बिना किस प्रकार के अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है?
(a) Any offence committed while on active duty / सक्रिय ड्यूटी पर किया गया कोई भी अपराध
(b) Any more heinous offence under section 9 / धारा 9 के तहत कोई भी अधिक जघन्य अपराध
(c) A petty offence against discipline not otherwise provided for, or not of a sufficiently serious nature to require prosecution before a criminal Court / अनुशासन के विरुद्ध ऐसा छोटा अपराध जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, या जो दांडिक न्यायालय में अभियोजन की अपेक्षा करने जितना गंभीर नहीं है
(d) Any less heinous offence under section 10 / धारा 10 के तहत कोई भी कम जघन्य अपराध

59. Under sub-section (3) of section 11, what happens to pay and allowances during confinement of not more than seven days? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सात दिन से अनधिक परिरोध के दौरान वेतन और भत्तों का क्या होता है?
(a) There is forfeiture of all pay and allowances during its continuance / उसके चालू रहने के दौरान सभी वेतन और भत्तों की समपहृति होती है
(b) Half the pay and allowances are forfeited / आधे वेतन और भत्ते समपहृत होते हैं
(c) Pay and allowances continue as usual / वेतन और भत्ते यथावत चलते रहते हैं
(d) Only the allowances are forfeited / केवल भत्ते समपहृत होते हैं

60. Under sub-section (3) of section 11, punishment drill or extra duty may be awarded with or without which additional punishment? / धारा 11 की उपधारा (3) के तहत दंड ड्रिल या अतिरिक्त ड्यूटी किस अतिरिक्त दंड के साथ या उसके बिना दी जा सकती है?
(a) Forfeiture of all pay and allowances / सभी वेतन और भत्तों की समपहृति
(b) Removal from an office of distinction / विशिष्ट पद से हटाया जाना
(c) Reduction in rank / रैंक में अवनति
(d) Confinement to quarters, lines or camp / क्वार्टर, लाइन या कैम्प तक परिरोध

61. Under sub-section (4) of section 11, which officers temporarily in command of a detachment or outpost have a limited power to punish? / धारा 11 की उपधारा (4) के तहत टुकड़ी या आउटपोस्ट की अस्थायी कमान में किन अधिकारियों को दंड देने की सीमित शक्ति है?
(a) A jemadar or sub-inspector / जमादार या सब-इंस्पेक्टर
(b) A company officer / कंपनी अधिकारी
(c) A subedar or inspector / सूबेदार या इंस्पेक्टर
(d) An assistant commandant / सहायक कमांडेंट

62. Under section 12, a person sentenced under the Act to imprisonment is liable to forfeiture of which items? / धारा 12 के तहत अधिनियम के तहत कारावास से दंडादिष्ट व्यक्ति किन मदों की समपहृति का दायी है?
(a) Pay, allowance and any other moneys due to him, as well as any medals and decorations received by him / वेतन, भत्ता और उसे शोध्य कोई अन्य धनराशि, तथा उसके द्वारा प्राप्त कोई पदक और अलंकरण
(b) Pension and gratuity only / केवल पेंशन और उपदान
(c) Arms, clothing and equipment issued to him / उसे जारी हथियार, वस्त्र और उपस्कर

(d) Pay and allowance only /
केवल वेतन और भत्ता

63. Under section 12, where shall a person sentenced to imprisonment be imprisoned if he is also dismissed from the Force? / धारा 12 के तहत यदि कारावास से दंडादिष्ट व्यक्ति बल से पदच्युत भी कर दिया जाता है तो उसे कहां कारावासित किया जाएगा?
(a) In the quarter-guard /
क्वार्टर-गार्ड में
(b) In the prescribed prison /
विहित जेल में
(c) In any place the Commandant considers suitable /
किसी भी स्थान पर जिसे कमांडेंट उपयुक्त समझे
(d) In the nearest district jail /
निकटतम जिला जेल में

64. Under section 12, where may a person be confined if he is sentenced to imprisonment but is not dismissed from the Force? / धारा 12 के तहत यदि व्यक्ति कारावास से दंडादिष्ट है किन्तु बल से पदच्युत नहीं किया गया तो उसे कहां परिरुद्ध किया जा सकता है?
(a) At his own quarters under close arrest /
बंद गिरफ़्तारी में अपने ही क्वार्टर पर
(b) In the quarter-guard or such other place as the Court or the Commandant may consider suitable /
क्वार्टर-गार्ड में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे न्यायालय या कमांडेंट उपयुक्त समझे
(c) In the nearest district jail /
निकटतम जिला जेल में
(d) In the prescribed prison in every case /
प्रत्येक दशा में विहित जेल में

65. Under section 12, on whose direction may a person not dismissed be confined in the quarter-guard? / धारा 12 के तहत पदच्युत न किए गए व्यक्ति को किसके निदेश पर क्वार्टर-गार्ड में परिरुद्ध किया जा सकता है?
(a) The prescribed authority /
विहित प्राधिकारी
(b) The assistant commandant /
सहायक कमांडेंट
(c) The Central Government /
केंद्र सरकार
(d) The Court or the Commandant /
न्यायालय या कमांडेंट

66. Under section 13, deduction may be made for every day of absence in which two circumstances? / धारा 13 के तहत किन दो परिस्थितियों में अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए कटौती की जा सकती है?
(a) Either on desertion or without leave /
या तो भगोड़ेपन पर या बिना छुट्टी
(b) Either on transfer or on deputation /
या तो स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति पर
(c) Either on training or on temporary duty /
या तो प्रशिक्षण पर या अस्थायी ड्यूटी पर
(d) Either on sick leave or on casual leave /
या तो बीमारी की छुट्टी पर या आकस्मिक छुट्टी पर

67. Under section 13, deduction may be made for every day whilst a member is in custody on a charge for an offence of which he is — / धारा 13 के तहत उस अपराध के आरोप पर अभिरक्षा में रहने के प्रत्येक दिन के लिए कटौती की जा सकती है जिसका वह —
(a) Placed under close arrest /
बंद गिरफ़्तारी में रखा जाता है
(b) Afterwards convicted /
बाद में दोषसिद्ध ठहराया जाता है
(c) Merely accused /
केवल अभियुक्त है
(d) Afterwards acquitted /
बाद में दोषमुक्त कर दिया जाता है

68. Under section 13, hospital days attract deduction where the sickness is certified to have been caused by — / धारा 13 के तहत अस्पताल के दिनों पर कटौती तब लगती है जब बीमारी का कारण प्रमाणित रूप से क्या हो?
(a) Any cause connected with his duty /
उसके कर्तव्य से जुड़ा कोई कारण
(b) Any injury received on active duty /
सक्रिय ड्यूटी पर लगी कोई चोट
(c) Any epidemic in the unit /
यूनिट में कोई महामारी
(d) An offence committed by him under this Act /
इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा किया गया अपराध

69. Under section 13, who certifies that the sickness was caused by an offence committed by the member? / धारा 13 के तहत यह कौन प्रमाणित करता है कि बीमारी सदस्य द्वारा किए गए अपराध से हुई थी?
(a) The criminal Court /
दांडिक न्यायालय
(b) The company officer /
कंपनी अधिकारी
(c) The medical officer attending on him at the hospital /
अस्पताल में उसका उपचार करने वाला चिकित्सा अधिकारी

(d) The Commandant /
कमांडेंट

70. Under section 13, who may order a deduction to make good expenses caused, or loss or damage done, by a member of the Force? / धारा 13 के तहत बल के सदस्य द्वारा कारित व्यय, या की गई हानि या क्षति की पूर्ति के लिए कटौती का आदेश कौन दे सकता है?
(a) The Central Government only /
केवल केंद्र सरकार
(b) Any subordinate officer /
कोई भी अधीनस्थ अधिकारी
(c) The company officer only /
केवल कंपनी अधिकारी
(d) The Commandant or assistant commandant /
कमांडेंट या सहायक कमांडेंट

71. Under section 14, the loss or theft of which articles may lead to a collective fine? / धारा 14 के तहत किन वस्तुओं की हानि या चोरी से सामूहिक जुर्माना लग सकता है?
(a) Any clothing or accoutrements issued to the unit /
यूनिट को जारी कोई वस्त्र या साज-सामान
(b) Any ration or fuel held by the unit /
यूनिट के पास रखा कोई राशन या ईंधन
(c) Any weapon, part of a weapon or ammunition forming part of the equipment of a company or other similar unit /
कोई हथियार, हथियार का भाग या गोला-बारूद जो किसी कंपनी या अन्य समरूप यूनिट के उपस्कर का भाग हो
(d) Any vehicle or communication set of the unit /
यूनिट का कोई वाहन या संचार सेट

72. Under section 14, what must the Commandant do before imposing a collective fine? / धारा 14 के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने से पहले कमांडेंट को क्या करना चाहिए?
(a) Refer the matter to a criminal Court /
मामला दांडिक न्यायालय को निर्दिष्ट करना चाहिए
(b) Make such inquiry as he thinks fit /
ऐसी जाँच करनी चाहिए जो वह ठीक समझे
(c) Place the whole unit under close arrest /
पूरी यूनिट को बंद गिरफ़्तारी में रखना चाहिए
(d) Obtain the sanction of the Central Government /
केंद्र सरकार की मंज़ूरी लेनी चाहिए

73. Under section 14, whose judgment decides which men should be held responsible for the loss or theft? / धारा 14 के तहत हानि या चोरी के लिए किन जवानों को उत्तरदायी ठहराया जाए, यह किसके विवेक से तय होता है?
(a) The judgment of the company officer /
कंपनी अधिकारी के विवेक से
(b) The judgment of the criminal Court /
दांडिक न्यायालय के विवेक से
(c) The judgment of the Central Government /
केंद्र सरकार के विवेक से
(d) The judgment of the Commandant /
कमांडेंट के विवेक से

74. Under section 9, which four bodies may a member not quit without being regularly relieved or without leave? / धारा 9 के तहत सदस्य नियमित रूप से बदले बिना या छुट्टी के बिना किन चार को नहीं छोड़ सकता?
(a) His guard, picquet, party or patrol /
अपना गार्ड, पिकेट, पार्टी या गश्त
(b) His post, camp, garrison or quarters /
अपनी पोस्ट, कैम्प, गैरिसन या क्वार्टर
(a) His company, platoon, section or detachment /
अपनी कंपनी, प्लाटून, सेक्शन या टुकड़ी
(b) His barracks, lines, camp or headquarters /
अपनी बैरक, लाइन, कैम्प या मुख्यालय

Answer Key / उत्तर कुंजी

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1	B	2	B	3	A	4	D
5	A	6	B	7	C	8	A
9	C	10	C	11	A	12	C
13	B	14	C	15	C	16	A
17	C	18	D	19	C	20	D
21	A	22	B	23	A	24	C
25	D	26	D	27	C	28	A
29	C	30	A	31	A	32	D
33	B	34	C	35	D	36	C

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
37	C	38	D	39	A	40	B
41	D	42	D	43	B	44	D
45	D	46	A	47	B	48	C
49	D	50	D	51	A	52	B
53	B	54	C	55	B	56	D
57	B	58	C	59	A	60	D
61	A	62	A	63	B	64	B
65	D	66	A	67	B	68	D
69	C	70	D	71	C	72	B
73	D	74	A				

TotalExam™